



दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हृष्ट हो रहा है, कि न्यासाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्व का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO :- CHHIN/2018/76480

email :- nyaysakshi@gmail.com

रायगढ़, रविवार 23 दिसम्बर 2018

पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए

वर्ष-01, अंक-84

महत्वपूर्ण एवं खास



दुनिया की पहली कर्तियल उड़ने वाली कार की बिक्री शुरू

नई दिल्ली। उड़ने वाली कार चलाने का सपना हकीकत में बदल गया है। डच कार कंपनी पैल-वी ने दुनिया की पहली कर्तियल उड़ने वाली कार की बिक्री शुरू कर दी है। ग्राहक दो उड़ने वाली कारें, लिबर्टी स्पोर्ट और लिबर्टी पायनियर की प्री-बुकिंग शुरू कर सकते हैं। 6.60 लाख रुपए देकर स्पोर्ट और पायनियर को 16.70 लाख रुपए देकर बुक किया जा सकता है। कंपनी ने लिबर्टी स्पोर्ट की कीमत 2 करोड़ 70 लाख रुपए और लिबर्टी पायनियर की कीमत 4 करोड़ 1 लाख रुपए रखी है। कार की डिलेवरी यूरोप में 2018 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है।

दो दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी

पुलिस प्रमुखों की परेड का किया मुआयना
नरेंद्र मोदी (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन गुजरात पर हैं। इस दौरान उड़ने वाली कार की बिक्री शुरू करने का आदेश दिया गया है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बढ़ाया गया एक कदम है। यह मनमोहन सिंह सरकार द्वारा बनाए गए कानून के तहत किया गया है। उड़ने वाली कारें, लिबर्टी स्पोर्ट और लिबर्टी पायनियर की प्री-बुकिंग शुरू कर सकते हैं। 6.60 लाख रुपए देकर स्पोर्ट और पायनियर को 16.70 लाख रुपए देकर बुक किया जा सकता है। कंपनी ने लिबर्टी स्पोर्ट की कीमत 2 करोड़ 70 लाख रुपए और लिबर्टी पायनियर की कीमत 4 करोड़ 1 लाख रुपए रखी है। कार की डिलेवरी यूरोप में 2018 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है।

क्रिसमस पर तीन दिन नहीं चलेगी संसद

24 से 26 दिसंबर तक अवकाश
नई दिल्ली (आरएनएस)। संसद के दोनों सदनों में क्रिसमस के अवकाश पर तीन दिन का अवकाश रहेगा और इस दौरान 24 से 26 दिसंबर तक कामकाज नहीं होगा। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने शुक्रवार को धोणा की कि क्रिसमस के अवकाश पर मानवता में भी उक्त तीन दिन क्रिसमस के अवकाश की धोणा हो चुकी है।

अमेरिका ने चीन को दी धमकी, कहा- 'तुरंत रिहा करें कनाडा के नागरिक

वाशिंगटन। ओबामा और वाशिंगटन ने चीन में हिंसक में लिये गए कनाडा के दो नागरिकों की रिहाई के लिये बीजिंग पर दबाव बढ़ा दिया है। ऐसा समझा जाता है कि अमेरिकी वारंट पर एक चीनी कंपनी की वरिष्ठ अधिकारी को वैकूप में गिरफ्तार किये जाने के जवाब में चीन ने यह कर्तव्याई की है। यूरोपीय संघ ने भी कहा है कि वह कनाडाई नागरिकों को दिहासत में लिये जाने के मामले में कनाडा का समर्थन कर रहा है। चीन और अमेरिका के बीच प्रतिविवाद में ओटावा फैसला गया है। कनाडा की विदेश मंत्री क्रिस्टिया फ्रीडैन ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, "हम इस महीने की शुरुआत में दो कनाडाई नागरिकों को चीनी अधिकारियों द्वारा हिंसा के लिये जाने से बेबद चिन्तित हैं और उन्हें तकाल रिहा करने की मांग करते हैं।"

मशहूर एक्टर कमल हासन ने लोकसभा चुनाव लड़ने का किया एलान

नई दिल्ली। मशहूर एक्टर कमल हासन ने कहा, 'मैं लोकसभा चुनाव जरूर लड़ूंगा।'

कंप्यूटर पर निगरानी के लिए 10 कंपनियों को मिली इजाजत

नई दिल्ली (आरएनएस)। है। वहीं अब सरकार ने एक कड़ा एमएचए के आदेश पर केंद्रीय फैसला लेते हुए सुरक्षा एजेंसियों

शामिल होने का संदेश होता है तो वे उनके कंप्यूटरों में मौजूद सामग्रियों को जांच सकती हैं और उन पर कार्रवाई कर सकती हैं।

सरकार ने इन 10 एजेंसियों को आपके कंप्यूटर पर नजर रखने का आदेश दिया है। यह पूरा मानसा देश की सुरक्षा से जुड़ा है। ऐसे में यदि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई ऐसी सामारी पाई जाती है जो कि देश विरोधी है या किसी भी प्रकार से कानून का उल्लंघन करती है तो आपकी जांच हो सकती है और आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। कंप्यूटर में सेव डाटा के अलावा आप अपने कंप्यूटरों में मौजूद डाटा पर नजर रखने और जांचने का अधिकार दे दिया गया है। सरकार के मुताबिक सूक्ष्मा प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 के तहत यदि एजेंसियों को किसी भी संस्थान या व्यक्ति पर देशविरोधी गतिविधियों में



को आपके कंप्यूटर पर नजर रखने का आदेश दिया है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश भी जारी किया है। आदेश में देश की सभी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को लोगों के निजी कंप्यूटरों में मौजूद डाटा पर नजर रखने और जांचने का अधिकार दे दिया गया है। सरकार के बाइं-फैसले सेवा देने वालों को भी अपने नेटवर्क पर पॉर्न साइट को ब्लॉक करने की जांकारी दी गई।

गैरतंत्र है कि कुछ दिन पहले ही सरकार ने कई पॉर्न वेबसाइट्स को बंद करने का आदेश दिया था। उसके बाद जियो-एयरटेल समेत कई टेलीकॉम कंपनियों ने अपने नेटवर्क पर पॉर्न साइट को ब्लॉक कर दिया गया है। सरकार के मुताबिक वाइ-फ़ाइ सेवा देने वालों को भी अपने नेटवर्क पर पॉर्न साइट पर ब्लॉक करने की जांकारी दी गई।

जो आपके कंप्यूटर पर नजर रखने का आदेश दिया है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश भी जारी किया है। आदेश में देश की सभी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को लोगों के निजी कंप्यूटरों में मौजूद डाटा पर नजर रखने और जांचने का अधिकार दे दिया गया है। सरकार के बाइं-फैसले सेवा देने वालों को भी अपने कंप्यूटर पर नजर रखने का अधिकार दे दिया गया है। यहाँ तक लोकल वाइ-फ़ाइ सेवा देने वालों को भी अपने नेटवर्क पर पॉर्न साइट पर ब्लॉक करने की जांकारी दी गई।

जो आपके कंप्यूटर पर नजर रखने का आदेश दिया है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश भी जारी किया है। आदेश में देश की सभी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को लोगों के निजी कंप्यूटरों में मौजूद डाटा पर नजर रखने और जांचने का अधिकार दे दिया गया है। सरकार के बाइं-फैसले सेवा देने वालों को भी अपने कंप्यूटर पर नजर रखने का अधिकार दे दिया गया है। यहाँ तक लोकल वाइ-फ़ाइ सेवा देने वालों को भी अपने नेटवर्क पर पॉर्न साइट पर ब्लॉक करने की जांकारी दी गई।

जो आपके कंप्यूटर पर नजर रखने का आदेश दिया है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश भी जारी किया है। आदेश में देश की सभी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को लोगों के निजी कंप्यूटरों में मौजूद डाटा पर नजर रखने और जांचने का अधिकार दे दिया गया है। सरकार के बाइं-फैसले सेवा देने वालों को भी अपने कंप्यूटर पर नजर रखने का अधिकार दे दिया गया है। यहाँ तक लोकल वाइ-फ़ाइ सेवा देने वालों को भी अपने नेटवर्क पर पॉर्न साइट पर ब्लॉक करने की जांकारी दी गई।

जो आपके कंप्यूटर पर नजर रखने का आदेश दिया है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश भी जारी किया है। आदेश में देश की सभी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को लोगों के निजी कंप्यूटरों में मौजूद डाटा पर नजर रखने और जांचने का अधिकार दे दिया गया है। सरकार के बाइं-फैसले सेवा देने वालों को भी अपने कंप्यूटर पर नजर रखने का अधिकार दे दिया गया है। यहाँ तक लोकल वाइ-फ़ाइ सेवा देने वालों को भी अपने नेटवर्क पर पॉर्न साइट पर ब्लॉक करने की जांकारी दी गई।

जो आपके कंप्यूटर पर नजर रखने का आदेश दिया है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश भी जारी किया है। आदेश में देश की सभी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को लोगों के निजी कंप्यूटरों में मौजूद डाटा पर नजर रखने और जांचने का अधिकार दे दिया गया है। सरकार के बाइं-फैसले सेवा देने वालों को भी अपने कंप्यूटर पर नजर रखने का अधिकार दे दिया गया है। यहाँ तक लोकल वाइ-फ़ाइ सेवा देने वालों को भी अपने नेटवर्क पर पॉर्न साइट पर ब्लॉक करने की जांकारी दी गई।

जो आपके कंप्यूटर पर नजर रखने का आदेश दिया है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश भी जारी किया है। आदेश में देश की सभी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को लोगों के निजी कंप्यूटरों में मौजूद डाटा पर नजर रखने और जांचने का अधिकार दे दिया गया है। सरकार के बाइं-फैसले सेवा देने वालों को भी अपने कंप्यूटर पर नजर रखने का अधिकार दे दिया गया है। यहाँ तक लोकल वाइ-फ़ाइ सेवा द